सप्तदश बिहार विधान सभा

अष्टम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-24.03.2023 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री प्रहलाद यादव, स०वि०स० श्री मुकेश कुमार रौशन, स०वि०स० श्री राकेश कुमार रौशन, स०वि०स० श्री रामवृक्ष सदा, स०वि०स० श्री विजय कुमार, स०वि०स०	''बिहार प्रदेश के सभी जिलों में सरकारी एवं निजी भवन तथा सड़क निर्माण कार्य हेतु वाहन मालिकों से चालान से अधिक गिट्टी एवं बालू इत्यादि लोडिंग के नाम पर परिवहन विभाग द्वारा वाहन मालिकों से 25 गुणा जुर्माना लेती है । अतएव जनहित में उक्त जुर्माना को शिथिल करते हुए कम कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''	परिवहन

2. श्री सुदामा प्रसाद, स०वि०स० श्री गोपाल रविदास, स०वि०स० श्री अरूण सिंह, स०वि०स० श्री सत्यदेव राम, स०वि०स० श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, स०वि०स० श्री संदीप सौरभ, स०वि०स० श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी, स०वि०स० श्री अमरजीत कुशवाहा, स०वि०स० श्री मुहम्मद इजहार असफी, स०वि०स०	''बिहार में घाटे की खेती का भार बटाईदार किसानों के कंधों पर है । जिन रैयत किसानों और भू-स्वामियों के पास रोजगार के दूसरे विकल्प मौजूद हैं, वे अपनी खेती बटाई पर लगा रहे हैं । 80 प्रतिशत से ज्यादा खेती बटाई पर हो रही है । कल के खेत-मजदूर आज बटाईदार किसान बन चुके हैं । पूँजी के अभाव में खेती शुरू करने से पहले ही वे भू-स्वामी, ट्रैक्टर मालिक, खाद-बीज के दुकानदार, सूदखोर आदि से ज्यादा फसल या कम कीमत पर अपनी फसल देने का समझौता कर लेते हैं । आपदा से फसल नष्ट होने पर वे पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं । कृषिगत योजनाओं की जानकारी, जमीन का कागजात और पहचान-पत्र के अभाव में वे कृषि बजट का लाभ नहीं उठा पाते हैं । जमीन के कागज के आधार पर खेती नहीं करने वाले भू-स्वामी और बिचौलिये कृषि बजट का बड़ा हिस्सा हड़प लेते हैं । अत: लोकहित में खेती के मुख्य कर्णधार बटाईदार किसानों का रजिस्ट्रेशन कर पहचान-पत्र देने, बैंकों में के०सी०सी० खोलकर जरूरत के अनुसार उन्हें ब्याजमुक्त कर्ज देने तथा गाँव-गाँव में सरकारी कृषि योजनाओं का प्रचार कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''	कृषि

पवन कुमार पाण्डेय
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-14/2023- 712 / वि०स०, पटना, दिनांक- 23 मार्च, 2023 ई० ।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

23.3.23

(विमलेन्दु भूषण कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-14/2023- 712 / वि०स०, पटना, दिनांक- 23 मार्च, 2023 ई० ।

प्रतिः- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रिगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

23.3.23
(विमलेन्दु भूषण कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-14/2023- 712 / वि०स०, पटना, दिनांक- 23 मार्च, 2023 ई० ।

प्रतिः- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / परिवहन विभाग तथा कृषि विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

23.3.23
(विमलेन्दु भूषण कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-14/2023- 712 / वि०स०, पटना, दिनांक 23 मार्च, 2023 ई० ।

प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

23.3.23
(विमलेन्दु भूषण कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

23/3/23